न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 11/2013

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
गोरधनराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी नागडी तहसील खींवसर जिला नागौर।		1 भंवरीदेवी पत्नी भागाराम 2 आफुराज पुत्र कुम्भाराम 3 गंगाराम पुत्र आईदानराम 4 चूनाराम पुत्र मोटाराम 5 परमाराम पुत्र मोटाराम 6 माधाराम पुत्र मोटाराम 7 परसाराम पुत्र मोटाराम 8 खेराजराम पुत्र कुम्भाराम 9 फुली बेवा मोटाराम 10 रामूराम पुत्र मोटाराम 11 प्रेमाराम पुत्र मोटाराम 12 रामनिवास पुत्र हमीराराम 13 सुखाराम पुत्र हमीराराम 14 जेठाराम पुत्र हमीराराम 15 भंवराई पत्नी हमीराराम 16 धापुदेवी पत्नी मांगीलाल 17 पुटमादेवी पत्नी पुरखाराम 18 डूंगरराम दत्तक पुत्र भींयाराम 19 भागुराम दत्तक पुत्र धोंकलराम 20 भंवरू पुत्र उदाराम (फौत) के कायम मुकाम 20/1 कमली पत्नी भंवरू 20/2 शारदा पुत्री भंवरू 20/3 धपली पुत्री भंवरू 20/4 सरोज पुत्री भंवरू 20/5 पुटमी पुत्री भंवरू 20/6 किशोरराम पुत्र भंवरू 20/7 रविन्द्र पुत्र भंवरू जातियान जाट निवासीगण नागडी तहसील खींवसर जिला नागौर। 21 तहसीलदार खींवसर।

उपस्थिति–

1– श्री भंवरलाल पोटलिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

2– श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01 से 15, 18, 19 तथा 20/1 से 20/7 की ओर से।

3– श्री श्याम सुन्दर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 16 की ओर से।

4– श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 21 की ओर से।

आदेश दिनांक 26.09.2025

। प्रार्थी गोरधनराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी नागडी तहसील खींवसर जिला नागौर द्वारा रेफरेन्स अधीन धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर मौजा नागडी के साबिक खसरा नम्बर 98, हाल खसरा नं. 205, 206, 207, 208, 209 की खातेदारी को डोली के नाम पुनः दर्ज करवाये जाने को लेकर प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 15, 18, 19 तथा 20/1 से 20/7 की ओर से की ओर से श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 16 की ओर से श्री श्याम सुन्दर ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 21 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 17 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहा है। प्रार्थी ने अपने रेफरेन्स के समर्थन मे ग्राम नागडी की खतौनी सम्वत् 2006 की फोटोप्रति, मौजा नागडी की जमाबंदी संवत् 2016–19, 2060–63, तथा

26/9/25

अपर कलक्टर, नागौर

2068–71 की फोटोप्रति, मौजा नागडी का मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2020 से 39 की फोटोप्रति तथा वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 15, 18, 19 तथा 20/1 से 20/7 मौजा नागडी के मिलान क्षेत्रफल संवत् 2020 की प्रमाणित फोटोप्रति, बेचाननामा दिनांक 27.05.2006 की फोटोप्रति, मौजा नागडी की जमाबंदी संवत 2012 से 15, 2037 से 42, 2006 तथा 2020 की फोटोप्रति, रसीद संख्या 67, 69 की फोटोप्रति, मौजा नागडी की गिरदावरी संवत 2006 की फोटोप्रति पेश की।

2 उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि–

2(1)– प्रार्थी ग्राम नागडी तहसील खींवसर जिला नागौर का निवासी है तथा ग्राम नागडी स्थित आसण पागलनाथजी महाराज (मन्दिर)की पूजा अर्चना करता है तथा आसण पागलनाथजी महाराज में आस्था है।

2(2) ग्राम नागडी में आसण पागलनाथजी महाराज देवरा (मन्दिर) की डोली की भूमि रहती आई है। आसण पागलनाथजी महाराज की डोली के खेत साबिका खसरा नम्बर 98 जिसके हाल खसरा नम्बर 205, 206, 207, 208, 209 वाके सरहद मौजा नागडी तहसील खींवसर रहते चले आये है, उक्त भूमि आसण पागलनाथजी महाराज की खुदकाश्त की भूमि रही है पुराने राजस्व रेकॉर्ड, खतौनी, मिलान क्षेत्रफल, वर्तमान खतौनियों आदि की नकले प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

2(3)– इस मन्दिर के पूर्व में पुजारी लिछमण चेला चेननाथ था। उपरोक्त खेताय कदीम से डोली मन्दिर आसण के नाम से दर्ज है एवं डोली बनाम आसण प्रभात पागलनाथजी की खातेदारी के रहते चले आये है।

2(4)– प्रार्थी हिन्दू है और आस्तिक है तथा आसण पागलनाथजी महाराज की पूजा अर्चना करता है तथा यह प्रार्थी के ईष्ट देव है।

2(5)– उपरोक्त साबिका खसरा के बने हाल खसरा नम्बर 205, 206, 207, 208, 209 तत्कालीन पुजारी लिछमण के चेला चेननाथ के नाम दर्ज होने व पश्चात सेटलमेंट विभाग वालों ने बिना किसी हक अधिकार के व किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय के पुजारी लिछमण चेला चेननाथ की खातेदारी समाप्त कर दीगर अन्य व्यकितयों के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया और वर्तमान मे अप्रार्थीगण संख्या 1 से 18 की खातेदारी में दर्ज है जबकि सेटलमेंट विभाग वालों को वक्त सेटलमेंट पूर्व की ऐन्ट्री को यथावत रखना था, खातेदारी परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए अप्रार्थीगण की खातेदारी गैर कानूनी व विधि विरूद्व है। इस प्रकार प्रथम तो सेटलमेंट अधिकारियों/राजस्व कर्मचाारियों को डोली की जमीन को किसी अन्य व्यक्ति की खातेदारी मे दर्ज करने का कतेई अधिकार नहीं था, दोयम में भूमि खुदकाश्त की दर्ज है। जिससे उक्त खातेदारी शुरू से ही अवैध एंव शून्य थी व है। उससे अप्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है न ही अप्रार्थीगण विधिनुसार डोली की जमीन के खातेदार ही हो सकते है।

26/9/24

अपर कलक्टर, नागौर

2(6)– आसण पागलनाथजी महाराज पूर्ण रूप से नाबालिग की तरह कानून मे मान्य है जिनकी डोली के खेताय पर कानूनन किसी को भी कोई हक खातेदारी किसी कदर भी हासिल नहीं हो सकते। विधि विरूद्व तरीके से कथित खातेदार दर्ज करवाई है। अप्रार्थीगण उपरोक्त खेताय में कोई हक अधिकार नहीं रखते है। अप्रार्थीगण के नाम की खातेदारी इन्द्राज शुरू से ही अवैध एवं शून्य है।

2(7)–डोली आसण/देवरा पागलनाथजी महाराज के तमाम उपरोक्त खेताय मूर्ति आसण पागलनाथजी महाराज के मन्दिर की डोली के रहे है तथा मूर्ति आसण पागलनाथजी महाराज के ही कब्जे काश्त व खातेदारी के रहे है, अप्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा इन खतेाय में नहीं रहा है।

2(8)–अप्रार्थीगण उक्त गलत इन्द्राजी के आधार पर उक्त भूमि को उतरोतर आगे बेचान करने की चर्चाए कर रहे है और उक्त चर्चा गांव में सुनने पर प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तो पता चला कि अप्रार्थीगण के नाम हुए इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण अवेध बेचान मिलावट कर डोली की भूमि की खातेदारी गलत एवं अवैध रूप से आगे हस्तान्तरण करवाने पर आमादा है। इसलिए डोली की भूमियों को पुनः डोली की खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु यह रेफरेंस पेश किया जा रहा है। उक्त गलत इन्द्राजी के आधार पर भूमि को उतरोतर बेचान, गिरवी हस्तान्तरकरण कर दिया तो प्रार्थी जो कि देवरा पाबूजी महाराज का आस्तिक/पुजारी है उसे व आसण पागलनाथ जी देवरा को अपूर्णीय क्षति होगी तथा देवरा की पूजा अर्चना देख रेख व्यवस्था करना मुश्किल हो जावेगा तथा प्रार्थी उक्त आसण का भक्त व पुजारी होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण को भूमि बेचान, गिरवी हस्तान्तरण करने से रोके जाने में ही है जिस हेतु आवेदन पेश किया है।

3 – वकील अप्रार्थीगण द्वारा वकील प्रार्थी की बहस का जवाब देते हुए बताया कि–

3(1)– अनुच्छेद संख्या 1 में महाराज के कोष्ठक में मंदिर लिख गया हैं, जो गलत लिखा गया है। पागलनाथ जी का कोई मंदिर गांव नागडी में नहीं है। प्रार्थी न तो पागलनाथ जी की पूजा अर्चना करता है और न ही पागलनाथ जी में आस्था रखता है।

3(2)–यह गलत है कि गांव नागडी में पागलनाथ के डोली की भूमि रहती चली आई हो। साबिक खसरा नम्बर 98 जिसके हाल खसरा नम्बर 205, 206, 2074, 208 व 209 पागलनाथ जी के डोलजी खुदकाश्त की भूमि रही है।

3(3)– पुजारी लिछमण चेला चेलनाथ अस्वीकार है। यह भी गलत है कि यह भूमि आसण पागलनाथ जी के खातेदारी में दर्ज रही है। यह गलत है कि सेटलमेंट वालों ने बिना किसी हक अधिकार के और बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय के लिछमण की खातेदारी समाप्त कर अन्य व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी हो। यह गलत है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी गेर कानूनी व विधि विरूद्व हो। यह भी गलत है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी शुरू से ही शुन्य व अवैध हो।

26/9/25

अपर कलक्टर, नागौर

3(4)–अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का बेचान करने व हस्तान्तरकण करने को आमादा करने की बात गलत है। यद्यपि अप्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि का बेचान करने व हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने तथा अपूर्णिय क्षति प्रार्थी को होने के तथ्य गलत है। यह गलत है कि रेफरेंस के मामलों में मियाद लागू नहीं होती हो। प्रार्थी का मामला रेफरेंस योग्य नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है।

3(5)–पागलनाथ जी इंसान थे और देवता या भगवान की श्रेणी में नहीं थे। आदमी का कभी कोई मंदिर नहीं होता है। प्रार्थी ने पागलनाथ जी का मंदिर होना आवेदन में गलत दर्ज किया है। पागलनाथ जी को आवेदन में नाबालिग दर्ज बताया गया है। पागलनाथ जी ने अपनी पूरी उम्र प्राप्त कर मृत्यु प्राप्त कर ली है इसलिए उनका नाबालिग होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वादग्रस्त भूमि को मंदिर की भूमि बताने की गरज से प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में मंदिर शब्द गलत रूप से अंकित किया है।

3(6)–पागलनाथ जी को तत्कालीन जागीरदारों के द्वारा वादग्रस्त भूमि व्यक्तिगत डोली के रूप में प्रदत की गई थी जो उनकी मृत्यु के साथ ही वापिस जागीरदारों में अथवा सरकार में चली गई। व्यक्तिगत डोलियों की जमीनों में खातेदारी दिये जाने में कोई कानूनी रूप नहीं है। यह भूमि कभी भी खुद काश्त की भूमि नहीं थी। संवत 2006 और संवत 2012 से 2015 की खतौनियों में भी इस भूमि को खुदकाश्त के रूप में दर्ज नहीं किया गया है और न ही मंदिर के रूप में दर्ज की गई है। यदि यह भूमि मंदिर की या खुद काश्त की होती तो राजस्व रिकार्ड संवत 2006 व 2012 में खुद काश्त के रूप से दर्ज होती संवत 2006 व उससे पहले यह भूमि हुकमा, हेमा, आईदान, धुलिया, मग्गा व उनके पूर्वजों के कब्जे काश्त की भूमि रही है और ऐसा ही उल्लेख संवत 2006 व 2012 की खतौनियों में है। इस भूमि को पागलनाथ जी महाराज व उनके शिष्यों ने कभी भी काश्त नही की।

3(7)–जागीर पुनग्रहण अधिनियम लागू होने के बाद जागीरे जब्त की गई। उस वक्त यह भूमि मंदिर व खुद काश्त की भूमि नहीं होने से इसे खालसा घोषित कर दिया गया था तथा खालसा घोषित होने के बाद जिन काश्तकारों का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर था, उन काश्तकारो से विधि अनुसार लगान राशि प्राप्त कर सहायक रेकर्ड ऑफिसर के न्यायालय के द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में विधि अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदत किये गये है जिनको चुनोति देने का अधिकार प्रार्थी को नहीं है। अप्रार्थीगण और उनको पूर्वजों का पिछले सौ साल से भी अधिक समय से कब्जा काश्त खातेदारी है और अप्रार्थीगण को ऐसे झूठे रेफरेन्स के माध्यम से उनके खातेदारी कब्जे से वंचित नहीं किया जा सकता। उक्त रेफरेंस विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है और न ही प्रार्थी को रेफरेंस करने का अधिकार है, जिससे उक्त रेफरेंस खारिज किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे (राजस्व) 2019 पेज 221 से 224, डीएनजे राज 2019(1) पेज 265 से 271, डीएनजे (राजस्व) 2013 पेज 31 से 34, आरआरटी 2016(1) पेज 651 से 656, आरआरडी 2015 पेज 556 से 588 तक नजीरे पेश की।

26/9/25

अपर कलक्टर, नागौर

4 उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया। मौजा नागडी की खतौनी संवत् 2006 का अवलोकन करने से पाया गया कि खतौनी के कॉलम संख्या 05 में हुकमा, हेमा, आईदान, पिसरान चतरा व धुलिया वल्द माना, मंगा वल्द आसु कोम जाट साबिन देह खातेदार दर्ज है। जिससे साबित होता है उक्त जायगा संवत् 2006 से ही उक्त काश्तकारों की खातेदारी में दर्ज रही है। मंदिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकारों के संबध में परिपत्र दिनांक 24.05.2007 द्वारा अंतिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चत की गई थी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि, जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी, उन खातेदारों को पूर्ण अधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसी भूमियों के पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। उक्त न्यायिक संदर्भो, अधिनियम 1955 की धारा 15, अधिनियम, 1952 की धारा 9 व 10, राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या प.3 (2) राज. 6/2007/14, दिनांक 24.05.2007, राजस्व मण्डल द्वारा जारी पत्र क्रमांक राज/प.63/न्याय/स्था/05/636–689 दिनांक 06.01.2010 को ध्यान में रखते हुए हस्तगत रेफरेंस बलहीन, आधारहीन, सारहीन होने से कारण खारिज किये जाने योग्य है।

5 उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

6 आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/9/18

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर